

भारतीय जीवन बीमा निगम

पेंशन एवं समूह बीमा ईकाई, जयपुर

पन्नाधाय जीवन अमृत योजना में सम्मिलित होने हेतु विकल्प प्रार्थना पत्र एवं नामांकन पत्र
(15.11.2006 तक उक्त कार्यालय में पहुंचना अनिवार्य है)

(कार्यकारी एजेन्सी द्वारा प्रत्येक ऐसे सदस्य से प्राप्त किया जाना है जो अपने स्थान पर उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य को योजना में शामिल करने का विकल्प देता है)

सेवा में,

महोदय,

मैं एतद्वारा यह घोषणा करता हूँ कि मैं योजना में सदस्यता जारी रहने के लिए के लिए मेरे स्थान पर को इस योजना में सदस्यता प्रदान करने का विकल्प देता हूँ। मैंने एवं विकल्प के नामित सदस्य ने योजना में सदस्यता जारी रहने की अवस्था में मृत्यु होने पर योजना के अन्तर्गत लाभ से सम्बन्धित नियम व शर्तों को पढ़ लिया है एवं भली-भाँति समझ लिया है।

योजना के अन्तर्गत लागू नियम एवं शर्तों के आधार पर मैं (नाम जिसका विकल्प दिया गया है) अब योजना में सम्मिलित होने हेतु आवेदन करता हूँ।

मुझसे सम्बन्धित विवरण निम्न प्रकार है :-

1. पूरा नाम
2. पिता/पति का नाम
3. पेशा
4. पूर्ण पता
5. जन्म तिथि
6. आयु
7. पहचान चिन्ह
8. स्वास्थ्य की दशा
9. बी.पी.एल. सूची की क्रम संख्या

उपरोक्त योजना में सदस्यता अवधि के दौरान मेरी मृत्यु होने की दशा में देय हित लाभ प्राप्त करने हेतु मैं निम्न व्यक्ति/व्यक्तियों को नामित करता हूँ। नामित व्यक्ति देय हितलाभ में समान अंश के भागीदार होंगे।

(जो विवरण लागू नहीं हो उसे काट दिया जाये)

क्र.सं.	नाम	उम्र	सम्बन्ध	पता
1				
2				
3				

दिनांक

सदस्य के हस्ताक्षर
जिसका विकल्प दिया गया है।
(बी.पी.एल. सूची का क्रमांक)

सदस्य के हस्ताक्षर
जिसने विकल्प दिया है।
(बी.पी.एल. सूची का क्रमांक)

सदस्यों के रजिस्टर में दिनांक को क्र.सं. पर नामांकन दर्ज किया गया।